यालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस

रण सं0 : 184/2025

वान :

दयानन्द पुत्र अमरसिंह जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा हाल आर्यनगर जिला हिसार।

:– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रतनाराम उर्फ रामरतन जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा
2. तेजपाल पुत्र अमरसिंह जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा
3. कमलेश पुत्री अमरसिंह जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा ।
4. विधा पुत्री अमरसिंह जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील दी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री ताराचन्द मोठसरा की उपस्थिति में र्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री या जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 3/5 के रसं0 273 की 3.275 है0, खसरा नं0 274 की 1.473 है0, खसरा नं0 62 की 2.289 है0, सरा नं0 63/1 की 0.885 है0, खसरा नं0 85/2 की 0.809 है0, खसरा नं0 9/1 की 2. 7 है0 कुल खसरे 6 की 11.588 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम जस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह अकेले की बजाऐ दी दयानन्द, प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 तेजपाल को बहिस्सा बराबर का ातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा तिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि रहन है तो हनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड रूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:32:06 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 184/2025

नाम/बनाम :

दयानन्द पुत्र अमरसिंह जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा हाल आर्यनगर जिला हिसार।

:– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रतनाराम उर्फ रामरतन जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा
2. तेजपाल पुत्र अमरसिंह जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा
3. कमलेश पुत्री अमरसिंह जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा ।
4. विधा पुत्री अमरसिंह जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री ताराचन्द मोठसरा : **प्रतिवादी सं0 1 4**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

निर्णय **दिनांक :** 29.10.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 3/5 के ख0सं0 273 की 3.275 है0, खसरा नं0 274 की 1.473 है0, खसरा नं0 62 की 2.289 है0, खसरा नं0 63/1 की 0.885 है0, खसरा नं0 85/2 की 0.809 है0, खसरा नं0 9/1 की 2.857 है0 कुल खसरे 6 की 11.588 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में दयानन्द पुत्र अमरसिंह जाति जांगिड़ निवासी मोठसरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी [illegible] मौ0 मोठसरा जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 3/5 प्रदर्श 1, जमाबंदी [illegible] मोठसरा जमाबंदी संवत 2032–2035 प्रदर्श 2, शपथ पत्र दयानन्द बाबत वसीयत [illegible] प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:32:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

रिवार की जददी जायदाद होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। इस बंध में वकील वादी ने हिन्दू विधि पेज सं0 146 खण्ड – 3/अध्याय – 8 तथा K.V. arayanaswami Iayer Vs K.V. Ramakrishna Iyer and others Court Supreme Court of India ायिक दृष्टान्त पेश किया

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत स्तावेज तथा न्यायिक दृष्टान्त का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में ादी ने ग्राम मोठसरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की ोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व दस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 3/5 के ख0सं0 273 की 3.275 है0, खसरा नं0 274 की 1.473 है0, खसरा नं0 62 की 2.289 है0, खसरा नं0 63/1 की 0.885 है0, खसरा नं0 85/2 की 0.809 है0, खसरा नं0 9/1 की 2.857 है0 कुल खसरे 6 की 11.588 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह अकेले की बजाऐ वादी, प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 3/5 के ख0सं0 273 की 3.275 है0, खसरा नं0 274 की 1.473 है0, खसरा नं0 62 की 2.289 है0, खसरा नं0 63/1 की 0.885 है0, खसरा नं0 85/2 की 0.809 है0, खसरा नं0 9/1 की 2.857 है0 कुल खसरे 6 की 11.588 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह अकेले की बजाऐ वादी दयानन्द, प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 तेजपाल को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया)RAS
...(फास्ट-ट्रैक)
भा... जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:32:06 IST
Reason: SelfAttested